15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

00BB 472231

मुख्यालय

स्टाम्प डियुटी रुपये	२७८२५–००	इन्दौर नगर पालिक निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 'नृसिंह बाजार'
कारपो डियुटी रुपये	३७१०–००	यहां पर म्यु०पा०नं ८ जुना व नया नंबर ११ का मकान
पंचायत डियुटी रुपये	३७१०–००	पैकि पश्चिम तरफ का भाग शहरी संपति बाजार मुल्य
अधिक स्टाम्प रुपये	०५–००	रुपये ३,७१,०००) अक्षरी रुपये तीन लाख इकोत्तर हजार
		वार्ड नंबर ४६
रुपये	३५२५०–००	
धारा ३४५	२६०५–००	
	३८८५५–००	

श्री

मकान का विक्रय पत्र कीमत रुपये ३,७१,०००)

३,७१,०००) रुपये तीन लाख इकोत्तर हजार विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष की तरफ से मकान पर लेकर भरपाये है।

पेऑर्डर ०१६८८६ ३११८९ – युनियन बैंक ऑफ इंडिया

३,७१,०००) रुपये

गोमतीबाई लाहोटी

श्रीमती गोमतीबाई पति श्री मोहनलाल लाहोटी निवासी स्कीम क्रमांक ७१ मकान नंबर एन–१,१८ सेक्टर बी इन्दौर म०प्र० --- विक्रेता पक्ष

श्री बाबुलाल पिता श्री प्रहलाददास अग्रवाल निवासी ७/३ नरसिंह बाजार इन्दौर म०प्र० --- क्रेता पक्ष

---२--

FRIDAY • SEPTEMBER

BER 2023

39559

2 8 AUG 1990

15000/1 5000/4 100 55/2 1 = 35 रु 58/

विक्रेता:- श्रीमती गोमतीबाई पत्नि श्री मोहनलाल [illegible] नि.

स्कीम क्रमांक 71 मकान क्रं.

क्र. 118 सेक्टर बी इन्दौर

क्रेता:- श्री बाबुलाल मित्तल

प्रहलाद अग्रवाल नि/3

नरसिंह बाजार इन्दौर

क्षे.:- रजीत

मूल:- 391000/

(00BB47223)

[signature]

श्रीमति गिरिजा सक्सेना
स्टाम्प वेण्डर
उप-पंजीयक कार्यालय
[illegible] (म. प्र.)
मोती तबेला, [illegible], इन्दौर
निवास:-73, [illegible]पुरा, इन्दौर
फोन:-469279

[illegible] अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	~~27825-00~~	30675
नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	~~3710-00~~	4090
पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क		
उपकर अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	~~3710-00~~	4090
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क		
[illegible]	~~05-00~~	
योग	~~35250-00~~	38855

[illegible] इन्दौर (म.प्र.) [signature] [signature]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(२)

यह मकान का विक्रय पत्र रुपये देकर लिखवालेने वाले **श्री बाबुलाल पिता श्री प्रहलाददास अग्रवाल निवासी ७/३ नरसिंह बाजार इन्दौर म०प्र०** (जिन्होको इस लेख मे आगे क्रेता पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) इन्होसे प्रतिफल का चुकता रुपया प्राप्त करके यह मकान का विक्रय पत्र लिख देने वाले **श्रीमती गोमतीबाई पति श्री मोहनलाल लाहोटी निवासी स्कीम क्रमांक ७१ मकान नंबर एन–१,१८ सेक्टर बी इन्दौर म०प्र०** (जिन्होको इस लेख मे आगे विक्रेता पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है जिसमे वे स्वयं उनोके वारसान, असाईनीज, उत्तराधिकारी, निष्पादक आदि सम्मिलित है) विक्रेता पक्ष आप क्रेता पक्ष के हित मे यह मकान का विक्रय पत्र लिख देते है कि :–

(१) यह कि विक्रेता ने तथा श्रीमती गीताबाई पति श्री वल्लभदासजी लाहोटी ने मिल कर दस्तावेज रजि०नों०नंबर १अ/४१२३/१९६५ के व्दारा दिनांक २४/८/१९६५ को गिरधरगोपाल पिता श्री दाऊलालजी नीमा से खरीद किया हुवा श्रीमती गीताबाई तथा विक्रेता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान शहर इन्दौर के **'नृसिंह बाजार'** यहां पर म्यु०पा०नंबर ८ जुना व नया नंबर ११ का मकान है। सदर मकान मे श्रीमती गीताबाई के जो भी हक्क व अधिकार थे वह उन्होने मुझे दस्तावेज रजि०नों०नंबर १अ/८८५/१९७१ दिनांक ११/२/१९७१ को त्याग कर दिये है इस प्रकार संपूर्ण मकान विक्रेता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है। सदर मकान पैकि पश्चिम तरफ का भाग विक्रेता ने आप क्रेता को कीमत रुपये ३,७१,०००) अक्षरी रुपये तीन लाख इक्होतर हजार मे विक्री कर दिया है। विक्री किये हुवे मकान का वर्णन व चतुःसीमा निचे लिखे मुजब है:–

---३--

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

I.
1.
Fir
2.
3.
4

(3)

(२) मकान शहर इन्दौर के **'नृसिंह बाजार'** यहां पर म्यु०पा०नंबर ८ जुना व नया नंबर ११ का मकान पैकि पश्चिम तरफ का भाग है। सदर मकान तीन मंजिल पश्चिम मुखी लकडी पाट का बना हुवा है। सदर मकान के आगे ओटला बना है। सदर मकान के तल मंजिल मे ४ चार कमरे व चढाव बना होकर प्रथम मंजिल में ४ चार कमरे बने है तथा व्दितीय मंजिल में ४ चार कमरे बने है व उपर चद्दरों की छत है वह इसी मकान के मालकी की होकर विक्री मे शामिल है। इस मकान को निकास पश्चिम तरफ से है। इस मकान के उत्तर तरफ ५ पांच फीट का गलीयारा है वह इसी मकान के मालकी का है। इस मकान की पुर्व पश्चिम लंबाई फीट ६६ छाछठ होकर दक्षिण उत्तर चौडाई फीट १७-४ इंच (सत्रह फीट चार इंच) है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल लगभग ११४३-७८ वर्गफीट है। उस पैकि बना हुवा तल मंजिल का भाग ६०० वर्गफीट है व प्रथम मंजिल ५०० वर्गफीट है तथा व्दितीय मंजिल का भाग ४०० वर्गफीट है। सदर मकान अव्यवसायिक क्षेत्र मे होकर सन् १९५० के पुर्व का बना है। इस मकान की तल जमीन इसी मकान के मालकी की है। इस मकान के आस पास की दिवाले मालकी की है। इस मकान मे इलैक्ट्रीक कनेक्शन व वाटर पाईप कनेक्शन लिये हुवे चालु हालत मे है। यह इसी मकान के मालकी के होकर मय डिपाझिट के विक्री मे शामिल है। इस मकान की चतुःसीमा निचे लिखें मुजब है :-

पुर्व को	**:- इसी मकान का शेष भाग**
पश्चिम को	**:- सरकारी सडक**
दक्षिण को	**:- हुकुमचंद ट्रस्ट का मकान**
उत्तर को	**:- प्रहलाददास का मकान**

(३) यह कि उपर लिखे मुजब चतुःसीमा के बिच का मकान सब बन्धा व खुल्ला आगे से पिछे तक व उपर से निचे तक मय निचे की तल जमीन सहित विक्रेता ने आप क्रेता को कीमत रुपये ३,७१,०००) अक्षरी रुपये तीन लाख इक्होत्तर हजार मे विक्री कर दिया है। विक्री किये हुवे मकान की कीमत के चुकते रुपये ३,७१,०००) अक्षरी रुपये तीन लाख इक्होत्तर हजार विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष

---४---

5000Rs.

की तरफ से उपर लिखे मुजब लेकर भरपाये है। अब बाकी लेना कुछ भी आपकी तरफ इस विक्री गोबादले बाबद रहा नही। उपर लिखा हुवा मकान विक्रेती ने आपके कब्जे मे दे दिया है। सदर मकान के तल मंजिल मे आगे के भाग मे गिरधरगोपाल गोकुलदास नीमा यह किरायेदार है तथा अन्य भाग में जो किरायेदार है उन्होसे हमने आपकी रुजवात करा दी है। वह आज से आपके किरायेदार हो गये है।

(४) यह कि सदर मकान विक्रेता ने आप क्रेता को विक्री कर देने से इसके मालकी के जो जो हक्क विक्रेता को थे, वह सब हक्क रध्द होकर आप क्रेता को मकान के मालकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गये है। अब आपने सदर मकान पर मालकी करके सदर मकान का उपभोग आपके इच्छानुसार हमेशा लेते जाना। इसमे मेरी या मेरे वारसान की किसी भी तरफ की हरकत होगी नही।

(५) यह कि सदर मकान के मालकी बाबद कोई भी वारीस या हक्कदार खडा होकर आपसे दावा झगडा करेगा या आपके कब्जे मे किसी भी तरह की हरकत लावेगा तो उसका मन विक्रेता अपने घरघराऊ खरचे से मनावेंगे आपको कोई वजह नुकसानी या अन्य किसी भी तरह का खर्चा आदि लगने देवेंगे नही।

(६) यह कि सदर मकान विक्रेता ने क्रेता के शिवाय दिगर जगह गिरवी या विक्री किया हुवा नही है और ना कोई को दान या बक्षिस मे दिया है। सदर मकान पर किसी का डिक्री, चार्ज मेन्टेनन्स, करजे का या जमानत का तथा अन्य किसी भी तरह हक्क संबन्ध या बोझा नही है। सदर मकान हर प्रकार के भार व बोझ से मुक्त है। सदर मकान विक्रेता के मालकी की होकर उसे विक्री करने का हमे पूर्ण अधिकार है।

(७) सदर मकान का म्यु०पा० का हाऊस टैक्स, नल व बिजली का बील आदि आज तक का हम देवेंगें आगे के लिये आपने देते जाना। और आपने आपका नाम म्यु०पा० मे व संपति कर व

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अन्य शासकिय अशासकिय कार्यालयो मे दाखल करवा लेना उसमे हमारे सही की या बयान की जो भी मदद लगेगी वह हम आपको अवश्य देवेंगे।

---५--

(८) यह कि सदर विक्री किये हुवे मकान के मालकी बाबद दस्तावेज व त्याग पत्र हमने आपको दे दिये है।

(९) यह कि विक्रेता पक्ष व क्रेता पक्ष ने दी अरबन लेन्ड सिलींग एन्ड रेग्युलेशन एक्ट सन् १९७६ के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन किया नही है। नगर भूमि सीमा अधिनियम सन् १९७६ की धारा २७(१) के अन्तर्गत घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि संलग्न है।

यह मकान का विक्रय पत्र हमने हमारी राजी खुशी से होशहवास मे शरीर व मन की पूर्ण सावधानी हालत मे लिख दिया सो सनद रहे और आवश्यकता पडने पर काम आवे।

इन्दौर। इति दिनांक 3।11।1995

साक्ष :-

१ सही मो. हबलाल [illegible]

नाम मोहनलाल [illegible]

पता [illegible]

२ सही [illegible]

नाम गौरीशंकर रामचन्द्रजी साहु

पता 33।2 [illegible]

सही विक्रेता

गोमतीबाई लाहोटी

प्रमाणीकरण

सपथ पृष्ठ पर भुगतान विवरण पे आर्डर नंबर [illegible] में [illegible] अभिस्वीकार कि है।

गोमतीबाई लाहोटी

रविन्द्र हनुमंतराव भुसारी

।दस्तावेज लेखक।

१८ राजस्व ग्राम कालोनी

[illegible] इन्दौर म०प्र०

फोन नंबर ४६९२५४

४०४३९०

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

गोमतीबाई लाहोटी

विक्रेता :- श्रीमती गोमतीबाई w/o श्री मोहनलाल

क्रेता - श्री बाबूलाल s/o श्री प्रहलाददास